

राजस्थान सरकार  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर राशमी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प :- अटल सेवा केन्द्र ~~राशमी~~ **मरमी**

राजस्व लोक अदालत अभियान  
 न्याय आपके द्वार-2018

-: आदेश :-

प्र०सं० :- **8134/2018**

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी, पटवार हल्का **मरमी** नू अभिलेख निरीक्षक वृत्त **रूप** की रिपोर्ट तथा तहसीलदार **राशमी** की राजस्व अनुशाषा के आधार पर राजस्थान नू - राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में मौजा **मरमी** तहसील राशमी व जिला चित्तौड़गढ़ की जमाबन्दी सम्वत् **21-74** में खाता संख्या **503** में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	मौजा	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1.	<b>मरमी</b>	<b>503</b>	<b>मोगी बेवा मोगीय</b>	<b>मोगी बेवा मोगी लाल</b>



**पंकज शर्मा**  
 सहायक कलेक्टर  
 (उपखण्ड अधिकारी)  
 राशमी, जिला चित्तौड़गढ़  
 दिनांक :- **10.5.2018**

क्रमांक: सरिश्ता/5-11(91)2018  
 प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार, राशमी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शोध किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री **मोगी बेवा मोगी लाल** को सूचनार्थ।

**पंकज शर्मा**  
 सहायक कलेक्टर  
 (उपखण्ड अधिकारी)  
 राशमी, जिला चित्तौड़गढ़